भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5767

उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

पीएम-पोषण योजना के कार्यान्वयन का आकलन

†5767. **श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:**

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री संजय दिना पाटील:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन का राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में, जिलावार मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो शामिल किए गए विद्यालयों का जिलावार ब्यौरा क्या है, लाभार्थियों की संख्या कितनी है और जारी की गई और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में उक्त योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में नामांकन और वास्तविक रूप में भोजन करने वाले छात्रों की संख्या के बीच के अंतर और बच्चों की अनुपस्थिति या भोजन प्रदान करने में अनियमितता के कारणों की जांच की है;

(ग) क्या उक्त राज्य में रसोइयों, सहायकों की कमी और रसोई कर्मचारियों को मानदेय भुगतान में विलंब की सूचना मिली है और सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का पोषण परिणामों में सुधार के लिए महाराष्ट्र में विद्यालयी भोजन में स्थानीय रूप से उत्पादित बाजरा, अंडे या क्षेत्र-विशिष्ट पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा, खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषन) योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जो बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को गर्म पकाया हुआ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए है। योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10.35 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं।

पीएम पोषण योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले के लिए कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में सामाजिक लेखापरीक्षा करना आवश्यक है। सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के पास है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2021-22, 2022-23 में कुल स्कूलों के 2% और वर्ष 2024-25 में कुल स्कूलों के 5% में सामाजिक लेखापरीक्षा की थी। तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से राज्य ने वर्ष 2023-24 में सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया है। सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत कवर किए गए स्कूलों की संख्या निम्न प्रकार है:

सामाजिक लेखा परीक्षा में कवर किए गए स्कूलों की संख्या			
2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
2523	1802	0	4278

महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार योजना के तहत नामांकित छात्रों की जिलावार संख्या, जारी और उपयोग की गई निधि **अनुलग्नक** में है।

पात्र छात्रों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) की नियुक्ति सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बताया है कि सामयिक प्रवास और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण, नामांकित छात्रों की कुल संख्या और मध्याह्न भोजन लेने वाले छात्रों के बीच अंतर है। इसके अलावा, राज्य ने यह भी बताया है कि सी.सी.एच. की कोई कमी नहीं है और न ही मानदेय के भुगतान में कोई देरी हुई है।

स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) की स्थापना और चिह्नित जिलों में पूरक पोषण प्रयास के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फ्लेक्सी घटक के रूप में कुल आवर्ती बजट का 5% प्रदान करने का प्रावधान है। कई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त पूरक पोषण प्रयास जैसे अंडा, दूध, चिक्की, ताजे फल, चिकन, रागी माल्ट आदि प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, यह बताया गया है कि 15 जनजातीय जिलों (आकांक्षी) में बाजरा पौष्टिक बार और महाराष्ट्र के सभी जिलों में अंडे और केले प्रदान किए जाते हैं।

भारत सरकार ने योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट **https: / /pmposhan.education.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुओं की खरीद, सीसीएच को प्रशिक्षण, छात्रों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन का स्वाद लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करना यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रत्यायन प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों का परीक्षण प्रदान करता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मानकों को पूरा करता है। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजन, परोसने के कौशल आदि पर सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। राज्य / संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

अनुलग्नक

पीएम-पोषण योजना के कार्यान्वयन का आकलन के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे, श्री संजय दिना पाटील, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील और प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा दिनांक 30.03.3026 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5767 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में पीएम पोषण योजना के तहत नामांकित छात्र और उपयोग की गई निधि

क्र. सं	जिला	2023-24		2024-25		2025-26 (फरवरी 2026 तक)	
		नामांकित छात्र	उपयोग की गई निधि (रुपए लाख में)	नामांकित छात्र	उपयोग की गई निधि (रुपए लाख में)	नामांकित छात्र	उपयोग की गई निधि (रुपए लाख में)
1	अहमदनगर	479301	7557.42	470731	7829.02	446650	7246.09
2	अकोला	154919	2557.28	146349	2824.16	161595	1994.14
3	अमरावती	244859	3819.97	236289	3932.11	278975	2967.48
4	औरंगाबाद	467505	7011.40	458935	7262.70	465892	4641.69
5	भंडारा	349156	5666.93	340586	5634.80	323716	5610.98
6	बीड	107236	1894.14	98666	1761.00	103615	1757.04
7	बुलढाणा	272583	4565.99	264013	4348.61	250787	3555.44
8	चंद्रपुर	172831	2752.38	164261	2990.94	158342	2119.66
9	धुले	257337	3454.42	248767	4007.46	234397	3540.58
10	गडचिरोली	94688	1831.52	86118	1901.52	90475	1314.00
11	गोंदिया	111469	1930.62	102899	2128.38	108043	2161.75
12	हिंगोली	144998	2046.74	136428	1266.43	126253	2499.69
13	जलगांव	466361	6382.92	457791	7039.94	454078	6966.42
14	जालना	239918	3728.68	231348	4288.52	209950	2799.12
15	कोल्हापुर	373295	6213.22	364725	5413.67	355263	5508.58
16	लातूर	290496	4086.51	281926	4637.44	280579	3306.60
17	मुंबई	571020	9975.20	562450	5946.50	533267	7244.75
18	नागपुर	308279	5170.56	299709	4638.20	286574	3413.64
19	नांदेड़	406038	5352.50	397468	5530.70	384461	4675.55
20	नंदुरबार	183832	2888.41	175262	3059.49	178190	4240.43
21	नासिक	667565	9226.79	658995	11329.00	647759	9528.88
22	उस्मानाबाद	178274	2956.48	169704	3008.60	177847	2702.75
23	पालघर	239500	3801.23	230930	3810.25	240574	3790.93
24	परभनी	239709	3127.94	231139	4072.63	223488	3525.83

25	पुणे	740808	11822.47	732238	10649.11	738154	7425.08
26	रायगढ़	184094	3404.10	175524	3161.00	177034	2770.43
27	रत्नागिरि	119750	2700.78	111180	1908.05	106500	2277.79
28	सांगली	267965	4943.24	259395	4836.35	267269	4168.86
29	सतारा	255509	4396.68	246939	4780.26	242140	2652.55
30	सिंधुदुर्ग	55726	984.94	47156	1338.67	53687	1111.84
31	सोलापुर	494962	8008.73	486392	7491.49	468757	4163.95
32	ठाणे	462261	6485.87	453691	5497.01	433619	5759.50
33	वर्धा	91626	1252.98	83056	1792.14	81395	1352.11
34	वाशिम	136961	2371.96	128391	1933.73	112205	1131.67
35	यवतमाल	269347	4536.53	260777	4636.19	250070	3586.28
कुल		**10100178**	**158907.52**	**9800228**	**156686.08**	**9651600**	**133512.08**
